न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 259/2017 दायर दिनाँक 11.09.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. मदनाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी ढाकी की ढाणी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भंवरलाल पुत्र मंगाराम 2. जगदीशराम पुत्र मंगाराम 3. झमकु पत्नी मंगाराम 4. गीता पुत्री खमाणराम 5. प्रियंका पुत्री खुमाणराम प्रतिवादी सं0 04 व 05 नाबालिग जरिये संरक्षक बडी बहन सुमनदेवी समस्त जाति जाट निवासी ढाकी की ढाणी 6. सुमन देवी पुत्री खुमाणराम जाति जाट निवासी ढाकी की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 8. एस0बी0आई0 बैंक शाखा डीडवाना

दावा बाबत्
घाषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील, वादी।
2. श्री मो0 अली शेरानी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 05.03.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 06 एक ही परिवार के सदस्य है तथा अलग अलग ही रहते है। स्वर्गीय मंगाराम के चार पुत्र हुए जिनमें सबसे बडे भंवरलाल, उनसे छोटे खुमाणराम, जगदीश व वादी मदनाराम हुए। इनमें से खुमाणराम की मृत्यू हो गई। खुमाणराम के कुल तीन जाईन्दा पुत्रियां है इसके अलावा अन्य कोई सन्तान नहीं है।

वादी व प्रतिवादगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 236 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा वाके सरहद ढाकी की ढाणी में

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

अवस्थित है। जिसमें वर्तमान में वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 अपने अपने हक अधिकार की भूमि पर काश्त करते आ रहे है। सुगनी देवी खुमाणराम की मृत्यू के पश्चात दुसरी शादी कर ली व दुसरी शादी करने के पश्चात सुगनी देवी की भी मृत्यू हो गई।

खेत खसरा सं0 236 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा के संबंध में खुमानणराम की पत्नी सुगनी देवी ने अपने जीवनकाल में ही वादी के पिता मंगाराम के पक्ष में एक ईकरारनामा निष्पादित किया था कि मैं दुसरी शादी कर रही हुं व अपनी तीनों पुत्रियों को अपने साथ ले जा रही हुं अब मेरा व मेरी तीनों पुत्रियों का मंगाराम की चल अचल सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। तीनों पुत्रियों की तरफ से बतौर नाबालिग सरंक्षक माता सुगनी देवी ने ईकरारनामें पर हस्ताक्षर कर निष्पादित करवाया था। उक्त ईकरारनामा निष्पादित होने के पश्चात सुगनी देवी अपनी तीनों पुत्रियों के साथ अन्यत्र चली गई व उक्त खेत में सुगनी देवी कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा।

प्रार्थना वादी है कि खेत खसरा सं0 236 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा में वादी का हक अधिकार ईकरारनामा निष्पादित होने के पश्चात मंगाराम की मृत्यू के पश्चात 1/4 रहा है तथा राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावें तथा प्रत्येक के नाम 1/4, 1/4, 1/4 दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें तथा इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादी के हक अधिकार की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार के हस्तक्षेप न तो स्वयं करें ना ही अपने किसी ऐजन्ट से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 08 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 तक ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मोहम्मद अली शेरानी ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा के मुताबिक, राजीनामा अनुसार दावा डिक्री चाहते हैं।

राजीनाम अनुसार वाके सरहद ढाकी की ढाणी के खेत खसरा सं0 236 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 तक का प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा व अधिकार कब्जा साथ में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अलग–अलग रूप से करके मौके पर अलग अलग काबिज है। संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दावा डिक्री किया जावें। प्रतिवादी सं0 03 झमकु देवी ने अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 01 व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 259/2017
दायर दिनाँ 11.09.2017, निर्णय दिनाँक 05.03.2018
मदनाराम बनाम भंवरलाल, वगैरा।

02 के हक में छोड दिया है अतः प्रतिवादी सं0 03 झमकु देवी का नाम उक्त खसरा नम्रान में से हटाया जावें।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है व वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद ढाकी की ढाणी के खसरा सं0 236 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी मदनाराम के 08 बीघा 01 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 01 भंवरलाल के 08 बीघा 01 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 02 जगदीश के 08 बीघा 01 बिस्वा घोषित किया जाता है तथा नजरी नक्शा अनुसार एक–एक बिस्वा रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 05.03.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **259/2017** दायर दिनाँक **11.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मदनाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी ढाकी की ढाणी तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भंवरलाल पुत्र मंगाराम 2. जगदीशराम पुत्र मंगराम 3. झामकु पत्नी मंगाराम 4. गीता पुत्री खमाणराम 5. प्रियंका पुत्री खुमाणराम प्रतिवादी सं0 04 व 05 नाबालिग जरिये संरक्षक बडी बहन सुमनदेवी समस्त जाति जाट निवासी ढाकी की ढाणी 6. सुमन देवी पुत्री खुमाणराम जाति जाट निवासी ढाकी की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। 8. एस0बी0आई0 बैंक शाखा डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **05.03.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद अली शेरानी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद ढाकी की ढाणी के खसरा सं0 236 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी मदनाराम के 08 बीघा 01 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 01 भंवरलाल के 08 बीघा 01 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 02 जगदीश के 08 बीघा 01 बिस्वा घोषित किया जाता है तथा नजरी नक्शा अनुसार एक—एक बिस्वा रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिग............—.............. बाबत....................—....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.03.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner